

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

मुकदमा नम्बर 38/2018 (2018/00494)

1. मूलचन्द पुत्र भीतर
  2. ग्यारसीलाल पुत्र भीतर
  3. सुखलाल पुत्र भीतर
  4. रामलाल पुत्र भीतर
  5. बदीलाल पुत्र भीतर
- जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

-----प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि उदा
2. शंकरलाल पुत्र उदा
3. सोजीराम पुत्र उदा
4. सोराज पुत्र उदा
5. लादी पुत्री उदा
6. रिकू पुत्री उदा
7. पानी पत्नि बंजरग
8. संतोष पत्नि लादूराम,
9. लोकेश पुत्र लादूराम जाति जाट
10. संतोक उर्फ संतोष पत्नि प्रकाश
11. जाना देवी पत्नि रामदयाल  
तमाम जाति माली
12. भवंरलाल पुत्र कानाराम
13. केसरलाल पुत्र कानाराम
14. अरविन्द पुत्र रामधन  
तमाम जाति जाट निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर




-----अप्रार्थीगण

राज.अभिधृति अधि.1955 की धारा 251क की उपधारा 1

आदेश

दिनांक 16.12.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स . 2073-76 के खाता स. नया-पुराना 1226-1233 के खसरा नम्बर 459 रकबा 6.14 है. किस्म बारानी 1 प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज भूमि है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु खाता स. नया-पुराना 246-51 ख.न. 282 खसरा नम्बर 464 रकबा 3.36 है. किस्म बारानी 1 खाता स. नया-पुराना 1769-1045 खसरा नम्बर 461 रकबा 2.34 है. किस्म बारानी 1 खाता स. 1-1 खसरा नम्बर 463 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु.पाल आराजी खसरानम्बर 459 जो कि प्रार्थीगण की है में आने जाने हेतु रास्ता खा.न. 463 से शुरू होता है तथा वह अन्य खातेदार गुलाब देवी पत्नि उदा, शंकरलाल, सोजीराम, सोराज, लादी, रिकू, पिसरान उदा, पानी देवी पत्नि बंजरग, संतोष पत्नि लादूराम, लोकेश पुत्र लादूराम जाति जाट, संतोक उर्फ संतोष पत्नि प्रकाश, जाना देवी पत्नि रामदयाल, तमाम जाति माली, भवंरलाल, केसरलाल, पिता कानाराम, अरविन्द पुत्र रामधन,

  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

सुमित्रा पत्नि प्रह्लाद . गोविन्द , खुशबू रेखा, पिसरान प्रह्लाद जाति जाट निवासी बघेरा तहसील केकडी एवं राज.सरकार की आराजी खसरा नम्बर 463 में से होकर अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 464 व 461 में से होकर प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 459 में पहुंचता है। उक्त रास्ता कदीमी है, तथा लगभग 20 फीट चौड़ा है तथा इस रास्ते से अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अन्य खातेदार गुलाब पत्नि उदा, शंकरलाल, सोजीराम, सोराज, ज्ञानी, रिकू पिसरान उदा , पानी पत्नि बंजरंग, संतोष पत्नि लादूराम , लोकेश पुत्र लादूराम जाति उदा, संतोष उर्फ संतोष पत्नि प्रकाश , जाना देवी पत्नि रामदयाल तमाम जाति माली , भंवरलाल , केसरलाल पिता कानाराम , अरविन्द पुत्र रामधन, सुमित्रा पत्नि प्रह्लाद, गोविन्द , खुशबू रेखा , पिसरान प्रह्लाद जाति जाट निवासी बघेरा तह.केकडी जिला अजमेर एवं राज.सरकार द्वारा उक्त रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट की जा रही है। रूकावट जारी है। आवश्यकता अत्यधिक है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बावजूद अनुपस्थित रहें। प्रकरण में तहसीलदार केकडी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई ।


प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बघेरा तह. केकडी में वर्णित आराजीयात के खसरा नम्बर 463 के मध्य से 5 मीटर चौड़ा व 16 मीटर लम्बा कुल 80 मीटर व ख.न. 461 की दक्षिणी मेड से 80 मीटर लम्बा व 5 मी. चौड़ा कुल 400 व.मी. , ख.न. 464 की उत्तरी मेड से 80मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 400 व.मी. कुल 880 व.मी.गुणा 2 गुणा 270864 बराबर 47,660 /- रूपये /- अक्षरे सैतालीस हजार छह सौ साठ रूपये/- अप्रार्थीगण को भुगतान करने पर रास्ता दिये जाने की सहमति तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित की है।

प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा रास्ता देने की प्रार्थना की। तहसीलदार केकडी के परोकार सरकार ने जवाब के कथनों को दोहराया ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील पक्षकार की बहस पर घोर किया । ग्राम बघेरा तह. केकडी में वर्णित आराजीयात के खसरा नम्बर 463 के मध्य से 5 मीटर चौड़ा व 16 मीटर लम्बा कुल 80 मीटर व ख.न. 461 की दक्षिणी मेड से 80 मीटर लम्बा व 5 मी. चौड़ा कुल 400 व.मी. , ख.न. 464 की उत्तरी मेड से 80मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 400 व.मी. कुल 880 व.मी.गुणा 2 गुणा 270864 बराबर 47,660 /- रूपये /- अक्षरे सैतालीस हजार छह सौ साठ रूपये/- प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी स. 1 को भुगतान करने की कार्यवाही एवं उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज की कार्यवाही तहसीलदार केकडी द्वारा की जावें । खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावों के संग 2021 केम्प बघेरा में सुनाया गया।



  
विकास पंचोली  
उपरवाहक अभियन्ता  
केकडी (अजमेर)  
केकडी